चौथा प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(06.03.2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2020/ , 1941 (शक)

Petition/Cover page/AS

सीपीबी. सं. 1 खंड IV

मूल्यः रूपये

© 2020 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित

विषय-वस्तु

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन (iii)

प्रस्तावना..... (V)

प्रतिवदेन

बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी-नैनीताल बैंक लिमिटेड का डिजिटल वेंचर के नाम पर प्रस्तावित बिक्री के संबंध में सुश्री निशा कामथ और नैनीताल बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 59वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई । 1

अनुबंध

समिति की 18.2.2020 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश। 17

याचिका समिति का गठन
(2019-20)

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
6. श्री पी. के. कुनहलिकुट्टी
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
9. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
10. डॉ. भारती प्रवीण पवार
11. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
15. श्री राजन बाबूराव विचारे

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री जी.सी. डोवाल - अपर निदेशक
4. श्री हरीश कुमार सेठी - कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किए जाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी नैनीताल बैंक लिमिटेड का डिजिटल वेंचर के नाम पर प्रस्तावित बिक्री के संबंध में सुश्री निशा कामथ और नैनीताल बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 59वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का यह चौथा प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 18.02.2020 को हुई बैठक में प्रारूप पहला प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

3. उपरोक्त मामले के संबंध में समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
18 फरवरी, 2020
29 माघ, 1941 (शक)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
सभापति,
याचिका समिति

Petition/Introduction/AS

प्रतिवेदन

नैनीताल बैंक लिमिटेड जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक अनुषंगी कंपनी है, का 'डिजिटल वेंचर' के बहाने प्रस्तावित बिक्री के संबंध में सुश्री निशा कामथ और नैनीताल बैंक अधिकारी संघ के अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका (16वीं लोक सभा) के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

याचिका समिति (16वीं लोक सभा) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक अनुषंगी कंपनी है, का 'डिजिटल वेंचर' के बहाने प्रस्तावित बिक्री के संबंध में सुश्री निशा कामथ और नैनीताल बैंक अधिकारी संघ के अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर 18 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पयणियां/सिफारिशें की थी और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को सिफारिशों को कार्यान्वित करने और समिति के विचार हेतु इस पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।

3. उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय से की गई कार्रवाई उत्तर अब प्राप्त हो गए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा इस पर प्रस्तुत उत्तर अनुवर्ती पैरा में विस्तार से दिया गया हैं।

4. प्रतिवेदन के पैरा 45, 46, 47 और 48 में समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी :-

> "समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा दी गई सूचना से नोट करती है कि देश में बैंकिंग उद्योग तीव्र गति से बढ़ रहा है और अनेक बैंक अपनी सेवा क्षमताएं लाभ (लेवरेजिंग) प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। यह उद्योग न केवल बढ़ रहा है बल्कि तेजी से उन मजबूत बैंकों के साथ समेकित हो रहा है जो प्रौद्योगिकी, उत्पादों, सेवा क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं और अन्य बैंकों से 'मार्केट शेयर' प्राप्त कर रहे हैं। तेजी से बदल रहे माहौल से संकेत ग्रहण करते हुए नैनीताल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपने बड़े शेयरधारक यथा बैंक ऑफ बड़ौदा के परामर्श से

नैनीताल बैंक लिमिटेड के लिए प्रौद्योगिकी उन्मुख अवसंरचना लाइट मॉडल बनाने की योजना तैयार की। लक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाह्य पूंजी नैनीताल बैंक लिमिटेड में जुटाई जानी थी जो उनको अपने शाखा नेटवर्क में वृद्धि करने एवं सिस्टम को इस हिसाब से तैयार करना कि वह अपने मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके और नए बाजारों में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। तद्नुसार कथित रूप से नैनीताल बैंक लिमिटेड को डिजिटल प्रक्रियाओं एवं अप्रतिम ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले बैंक के रूप में अपने को विकसित करने के लिए विस्तृत रूपांतरण योजना लागू की गई।

समिति यह भी नोट करती है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड में डिजिटल वेंचर की शुरूआत एवं स्थापना के लिए एक योजना तैयार की गई थी और नैनीताल बैंक लिमिटेड के बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा/ नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्रबंधन ने इस तर्क के आधार पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को सूचित/विचार-विमर्श नहीं किया कि यह एक प्रचालनागत मुद्दा है तथा इन मुद्दों पर बोर्ड स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), बैंक ऑफ बड़ौदा तथा नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान पाया कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा प्रस्तुत उत्तर व्याख्यात्मक ... थे और व्यापक तौर पर अस्पष्ट प्रकृति के थे। मौखिक साक्ष्य के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना उनके द्वारा पहले याचिका समिति को प्रस्तुत लिखित उत्तर के संगत नहीं थी। इसलिए, समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों से पूरे मामले की समीक्षा करने एवं अभ्यावेदन में उठाए गए विभिन्न पहलुओं पर व्यापक उत्तर एवं याचिका समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया। इसके अनुसरण में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने दिनांक 4.10.2018 क अपने पत्र द्वारा समिति को बताया कि अनुसरण करते हुए वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने विभिन्न व्यक्त चिंताओं के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा से उत्तरों का सत्यापन करने तथा बैंक के बोर्ड के साथ विचार-विमर्श के बाद निश्चित की गई कार्रवाई से

अवगत कराने का अनुरोध किया। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने समिति को बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचना दी है कि बोर्ड को याचिका समिति, लोक सभा को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भेजे गए उत्तरों से अवगत कराया जाए तथा 16.09.2018 को हुई इसकी बैठक में विचार-विमर्श क बाद बैंक के बोर्ड ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए प्रस्तावित डिजिटल वेंचर एवं स्टेक के विनिवेश को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

समिति यह नोटकर संतुष्ट है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड के कम वार्षिक लाभ के मुकाबले भारतीय वित्तीय निहितार्थ के मद्देनजर डिजिटल वेंचर परियोजना का प्रस्तावित कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है। न केवल संपूर्ण डिजिटल वेंचर परियोजना के ब्यौरे बल्कि नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के परिणामोन्मुख दृष्टिकोण की प्रशंसा करती है, जिसके आधार पर वे उचित निर्णय ले सके। तथापि, चूंकि डिजिटल वेंचर परियोजना नैनीताल बैंक लिमिटेड के समग्र कारोबार मॉडल का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं रही है इसलिए समिति वित्त् मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से आग्रह करती है कि डिजिटल वेंचर परियोजना स्थायी रूप से हटा दी जाए और इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की मौजूदा डिजिटल बैंकिंग परियोजना को नैनीताल बैंक लिमिटेड में भी लागू की जाए। समिति को इस बारे में ठोस कार्रवाई से इस प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर अवगत कराया जाए।"

5. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया है :-

"बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) ने सूचित किया है कि एनबीएल में डिजिटल वेंचर को शुरू करने एवं स्थापित करने की योजना के लिए दिनांक 27.12.2017 को आरबीआई को सूचित कर दिया गया था तथा यह विषय परिचालन से जुड़ा है, वित्तीय सेवाएं विभाग को इस विषय के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी/उनसे सलाह नहीं ली गई थी।

बैंक आफ बड़ौदा ने यह भी सूचित किया है कि एनबीएल में डिजिटल वेंचर को हटा दिया गया है तथा यथा स्थिति बहाल कर दी गई है।

एनबीएल में बीओबी के मौजूदा उपलब्ध डिजिटल उत्पादों एवं प्रणालियों के विस्तार के संबंध में, बीओबी ने सूचित किया है कि बीओबी के उत्पादों एवं प्रणालियों को एनबीएल में 'जैसा है, वैसे ही' क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है तथा एनबीएल के लिए इन्हें उपलब्ध कराने के लिए इनमें बदलाव जरूरी है, जिसका अर्थ है क्रियान्वयन में अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त श्रमशक्ति। बीओबी ने आगे सूचित किया है कि बीओबी से किसी भी तकनीक या उत्पाद को लेने के लिए एनबीएल की आवश्यकताओं के अनुरूप जरुरी पुनर्विन्यास भी हो, जिसमें अत्याधिक लागत एवं अधिक समय भी शामिल होगा।

बीओबी ने यह भी बताया है कि यह जांचना होगा कि उनके डिजिटल उत्पाद एवं प्रणालियां एनबीएल को उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा लाइसेंस, कस्टमाईजेशन, क्रियान्वयन आदि में शामिल लागत, जिसे एनबीएल वहन करेगा, की भी जांच करनी होगी।''

6. प्रतिवेदन के पैरा 49, 50, 51 और 52 में समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी :-

"नैनीताल बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बारे में समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा दी गई जानकारी से नोट करती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय को एक सूचना दी थी जिसने इसके जवाब में दिनांक 07.04.2006 के अपने पत्र द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंक लिमिटेड के उसमें विलय की संभावना तलाशने की सलाह दी थी। तद्नुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिनांक 06.07.2006 के अपने संकल्प संख्या एम-12 के द्वारा नैनीताल बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दे दी और बैंक ऑफ बड़ौदा को विलय प्रकिया शुरू करने को प्राधिकृत किया। तथापि, प्रस्तावित विलय शेयर धारकों तथा एक निदेशक एवं एक संसद सदस्य जो व्यापक रूप से नैनीताल बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को स्थानीय लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा बता रहे थे, के विरोध के कारण सफल नही हो सका था।

समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा विलय प्रस्ताव का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के लिए शेयर धारकों, एक निदेशक एवं एक संसद सदस्य द्वारा किए गए विरोध को एक कारण बताए जाने के तर्क से सहमत नहीं है। वस्तुतः, समिति यह नोट करके आश्चर्य चकित है कि निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को विलय प्रकिया शुरू करने हेतु प्राधिकृत किए जाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद भी इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। इस मुद्दे पर समिति का सुविचारित मत है कि विलय के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण अब समय की मांग बन गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक सशक्त इकाई का सृजन तथा बाजार की अनिश्चितता को झेलने की क्षमता का विकास करने और इसके माध्यम से विशेषकर, नैनीताल बैंक जैसे छोटे बैंकों सहित जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तभी संभव हो सकता है जब विलय-तंत्र का बड़े पैमाने पर पहुंचा लिया जाए।

तथापि, बैंकिंग क्षेत्र में विलय आकार एवं विस्तार, भौगोलिक-सह-वितरण तालमेल के साथ-साथ कौशल और क्षमता जैसे बाजार से संबंधित मानदंडों द्वारा से संचालित होना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहणों के लिए गिरती हुई ब्याज दरें, खुदरा बैंकिंग पर बढ़ता जोर; ग्रामीण क्षेत्र हेतु बढ़ती मांग; विशेषकर प्रचालनों से बढ़ते लाभों की चाह; एनपीए में नितांत रूप से कमी; प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत, आदि जैसी बाजार की उभरती परिस्थितियां प्रमुख कारक बन गए हैं। जबकि, विलय प्रक्रिया निश्चित ही एक परिवर्तनकारी पहल है, फिर भी इसकी सफलता हेतु मानवीय तत्व अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। परिवर्तन हेतु की गई कोई भी पहल मानव संसाधनों की सकारात्म्क मानसिकता के बिना सफल प्रयास नही हो सकता है। विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय प्रकिया के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जटिलताओं को पहचाना जाए और कार्यबल के सामूहिक व्यवहारों, अभिवृत्तियों और मानसिकताओं में परिवर्तन के लिए ऐसी व्यवहारिक योजना बनाई और कार्यान्वित की जाए जो इन विलय योजनाओं को कार्यात्मक उपायों में परिवर्तित कर सके। बढ़ते भूमंडलीकरण के साथ

भारतीय बैंकों के लिए अधिक लाभ प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाएगा और ऐसे परिदृश्य में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बैंकों के स्थान पर वैश्विक आकार के कतिपय बड़े बैंकों को विकसित किया जाना चाहिए। हाल ही में, भारत सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एवं देना बैंक के संबंध में विलय प्रक्रिया की शुरूआत करके इसे देश का 'तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक' बना दिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को समग्रतः ध्यान में रखते हुए, समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से पुरजोर सिफारिश करती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा विशेषकर नैनीताल बैंक लिमिटेड के शेयरधारकों एवं कर्मचारियों सहत सभी हितधारकों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल बैंक लिमिटेड का अपने साथ विलय के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे और इसका यथाशीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई ठोस कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।"

7. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया है :-

"बीओबी ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कारणों से वह बीओबी के साथ एनबीएल के विलय के पक्ष में नहीं है।

(i) बीओबी को विलय से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एनबीएल की बहुत कम कारोबार वाली केवल 139 शाखाएं ही हैं।

(ii) एनबीएल एक स्थानीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा वहां के लोगों का एनबीएल के साथ एक भावात्मक जुड़ाव भी है। बीओबी में विलय से, एनबीएल अपनी स्थानीय पहचान को खो देगा तथा साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे पाएगा।

(iii) बीओबी के एमडी एवं सीईओ के साथ किए गए विचार-विमर्श के अनुसार एनबीएल का कर्मचारी वर्ग प्रबंधन के विचार के पक्ष में है। केवल अधिकारियों का वर्ग ही विलय का समर्थन कर रहा है।

इस मामले को बैंक के बोर्ड के समक्ष दिनांक 25.4.2019 को हुई बैठक में रखा गया था, जिसमें बोर्ड ने विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।"

8. प्रतिवेदन के पैरा 53, 54, 55 और 56 में समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी :-

"समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर नोट करती है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने दिनांक 30.3.2017 को हुई अपनी बैठक में डिजिटल वेंचर की एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी और इस संबंध में व्यवसाय योजना की मंजूरी दिनांक 26.03.2018 को हुई बोर्ड की बैठक में दी गई थी। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने इस डिजिटल वेंचर हेतु एक परियोजना दल को नियुक्त किया तथा मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को भी संपूर्ण डिजिटल वेंचर ढांचे के डिजाइन, निर्माण और आरंभ करने एवं आरंभ के पश्चात की सेवाओं के लिए परामर्श साझेदार के रूप में नियुक्त किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को आश्वास्त किया था कि मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को प्रणाली कार्यान्वयन साझेदार के रूप में नियुक्त करने में होने वाले अत्यधिक व्यय को तब एक प्रतिबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक बैंक को खतरे में डाले बिना पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आगे यह कहा था कि नैनीताल बैंक ने अभी तक मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ठेका नहीं दिया है बल्कि नैनीताल बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने मात्र यह निर्णय लिया है कि व्यय के लिए पूंजी जुटा लिए जाने पर यह ठेका दिया जाएगा। अतः, नैनीताल बैंक लिमिटेड मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त करने पर कोई व्यय नहीं करने जा रहा है। वर्तमान में नैनीताल बैंक लिमिटेड एकमात्र व्यय नैनीताल बैंक लिमिटेड के डिजिटल वेंचर का नेतृत्व करने के लिए एक छोटे परियोजना दल की सेवाएं लेने में लगने वाली लागत पर कर रहा है। विगत 12-14 महीनों में यह लागत 2.2 करोड़

रुपए रही है जो कि नैनीताल बैंक लिमिटेड द्वारा उक्त वेंचर में निवेश की अधिकतम अनुमत राशि के रूप में नैनीताल बैंक लिमिटेड के बोर्ड द्वारा आवंटित 10 करोड़ रुपए के आरंभिक बजट के अंतर्गत है।

समिति आगे नोट करती है कि मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित विभिन्न बैंकों के रूपांतरण, प्रौद्योगिकी, प्रचालनों एवं रणनीति के संबंध में काफी अनुभव है। तथापि, मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुभव की कमी इसलिए प्रतिबिंबित हुई थी क्योंकि किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इस प्रकार की रूपांतरण परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया है। चूंकि, डिजिटल वेंचर की शुरूआत एक प्रचालनगत मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर निर्णय बोर्ड के स्तर पर लिया जाता है, इसलिए वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से इस विषय पर परामर्श नहीं किया गया।

इस संदर्भ में, समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक लिमिटेड की डिजिटल वेंचर परियोजना हेतु मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को परामर्शदाता साझेदार के रूप में नियुक्त करने में इतनी तत्परता क्यों दिखाई और वह भी, विशेषकर, एक ऐसी निजी कंपनी जिसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में रूपांतरण परियोजना निर्मित करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से परामर्श नहीं किया जाना भी बैंक ऑफ बड़ौदा/नैनीताल बैंक लिमिटेड के कार्य-नीति संबंधी निर्णय लेने वाले अधिकारियों के आचरण के संबंध में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

समिति यह जानकर व्यथित है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 30.07.2017 को हुई अपनी बैठक में डिजिटल वेंचर की पूर्ण योजना को स्वीकृति दी थी जबकि मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्रा. लि. के डिजिटल प्रमुख को 09.01.2017 तक नैनीताल बैंक लि. के रोल पर दिखाया गया है जो कि चौंकाने वाला इसलिए है कि इसे नैनीताल बैंक लि. के

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत योजना की तारीख से तीन महीने पहले दी गई थी। इसके अलावा, नैनीताल बैंक लि. के डिजिटल वेंचर परियोजना की परियोजना दल जिसमें पांच अन्य पेशेवरों की सेवाएं जनवरी, 2017 से अक्तूबर, 2017 के बीच ली गई थी और जिसमें बोनस और वार्षिक क्षतिपूर्ति सहित लगभग 4.45 करोड़ की भारी राशि का व्यय हुआ। तत्पश्चात समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों और नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात आश्वस्त है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन द्वारा नैनीताल बैंक जैसे छोटे बैंक के लिए डिजिटल वेंचर परियोजना गलत गणना और गलत अनुमान पर आधारित है। अतः समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) यह सुनिश्चित करे कि डिजिटल व्यय जैसी बड़ी परियोजना जिसमें भारी वित्तीय व्यय शामिल है और जिसे किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक या इसकी अनुषंगी द्वारा जिसकी बड़ी भागीदारी है, द्वारा अपनाया जाता है तो सरकारी क्षेत्र के उस बैंक के प्रबंधन/बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त मंत्रालय से निर्विवाद रूप से परामर्श लेनी चाहिए। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) स्पष्ट रूप से दिशानिर्देश/विनियमन आदि बनाए ताकि सरकारी धन का उपयोग प्रयोजन-परक और लाभप्रद तरीके से किया जाए। समिति विशेष रूप से इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

9. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया है :-

"बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि मैसर्स ऐसेंचर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन आरपीएफ प्रक्रिया तथा सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न बैंकों के लिए उनके वैश्विक परामर्शी एवं तकनीकी अनुभव के आधार पर किया गया था। भारत में बड़े स्तर पर परियोजनाओं का संचालन मैसर्स ऐसेंचर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एसबीआई इन-टच, एसबीआई बडी तथा डीबीएस द्वारा संचालित डिजिटल बैंक द्वारा किया जा रहा है।

परियोजनाओं के आवंटन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एक पत्र जारी किया, जिसमें यह सलाह दी गयी कि बैंक सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017, वस्तु प्रापण मैनुअल, 2017 तथा परामर्श तथा अन्य सेवा प्रापण मैनुअल, 2017 एवं प्रयोज्य सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तु और सेवा प्रापण के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार कर सकते हैं।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल उत्पादों का नैनीताल बैंक लिमिटेड में त्वरित कार्यान्वयन

10. देश में बैंकिंग उद्योग में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी, उत्पादों, सेवा क्षमताओं के लगातार बदलते वातावरण को ध्यान में रखते हुए, नैनीताल बैंक के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपने सबसे बड़े शेयरधारक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के परामर्श से नैनीताल बैंक लिमिटेड के लिए डिजिटल वेंचर की स्थापना कर प्रौद्योगिकी चालित, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट मॉडल के लिए एक योजना बनाई।

11. नैनीताल बैंक लिमिटेड में डिजिटल वेंचर की स्थापना के समग्र पहल के संबंध में दिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने जो निवेदन किया था वह बैंक द्वारा याचिका समिति को पूर्व में दिए गए लिखित उत्तर से मेल नहीं खाता था। अतः समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों से पूरे प्रस्ताव की समीक्षा करने तथा याचिका समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ-साथ अभ्यावेदन में पूछे गए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निवेदन किया। इसके अनुरूप वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने समिति के समक्ष यह निवदेन किया कि 10.09.2018 की बैठक में हुए विचार-विमर्श के उपरांत बैंक के बोर्ड ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में यथास्थिति बनाए रखने तथा प्रस्तावित डिजिटल वेंचर और विनिवेश को स्थगित करने का निर्णय किया है।

12. समिति इस बात को नोट कर संतुष्ट थी कि नैनीताल बैंक लिमिटेड की कम वार्षिक आय की तुलना में वित्तीय उत्तरदायित्व ज्यादा हैं, इसीलिए प्रस्तावित डिजिटल वेंचर परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। समिति का यह सुविचारित मत था कि डिजिटल वेंचर परियोजना नैनीताल बैंक लिमिटेड के समग्र व्यापार मॉडल का मूल्यांकन करने में असफल थी। अतः यह अधिक उचित होता कि डिजिटल वेंचर परियोजना को उसी समय स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया होता। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्तमान डिजिटल वेंचर परियोजना को नैनीताल बैंक लिमिटेड तथा विस्तारित करने का प्रयास करना चाहिए था।

13. इसके उत्तर में, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल उत्पाद और तंत्र को नैनीताल बैंक लिमिटेड में 'यथावत्' लागू नहीं किया जा सकता है और नैनीताल बैंक लिमिटेड में इसे लागू करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कार्यान्वयन में अतिरिक्त कीमत, अतिरिक्त कार्यबल आदि की आवश्यकता होना। बैंक ऑफ बड़ौदा से ली गई कोई भी प्रौद्योगिकी या उत्पाद का नैनीताल बैंक लिमिटेड में अनुकूलन होने के लिए पर्याप्त बदलाव की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पर्याप्त कीमत और समय की आवश्यकता होगी। समिति को यह भी सूचित किया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी जांच करेगा कि क्या वह अपने डिजिटल उत्पादों और तंत्र को नैनीताल बैंक लिमिटेड को उपलब्ध करा सकता है जिसमें लाइसेंस, अनुकूलनीकरण और क्रियान्वयन खर्च सम्मिलित है, नैनीताल बैंक लिमिटेड को वहन करना पड़ेगा।

14. समिति यह नोट कर चिंतित है कि लोक सभा में संबंधित प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी नैनीताल बैंक लिमिटेड को बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल उत्पादों के विस्तार हेतु कोई भी वास्तविक प्रगति, न तो वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) और न ही बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रक्रियात्मक मुद्दों जैसे खर्च, सॉफ्टवेयर, रिकांफिगरेशन, लाइसेंस के लिए खर्च, अनुकूलन, कार्यान्वयन आदि को लेकर हो सकी है। अतः समिति अपनी पिछली सिफारिश को दोहराती है कि डिजिटल वेंचर परियोजना को स्थायी रूप से समाप्त कर देना चाहिए तथा अब किसी और विलंब के बिना नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान डिजिटल बैंकिंग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परिणामोन्मुखी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए समिति प्रस्ताव करती है कि इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाए जिसमें नैनीताल बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के वो प्रतिनिधि शामिल हों जो बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल उत्पादों को नैनीताल बैंक लिमिटेड तक तीन महीने के अंदर विस्तारित करने में आने वाली प्रक्रियात्मक

बाधाओं को दूर कर सकें। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई ठोस कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नैनीताल बैंक लिमिटेड का विलय

15. अभ्यावेदन की जांच के दौरान, समिति ने पाया कि वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा को यह सलाह दी कि उसे नैनीताल बैंक लिमिटेड को अपने में विलय की संभावनाओं को ढ़ंढना चाहिए। तदनुरूप, बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ने दिनांक 06.07.2006 के संकल्प संख्या एम-12 के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से नैनीताल बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय की सहमति दे दी तथा उन्हें विलय प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसे 'भावनात्मक मुद्दा' बना लेने के कारण प्रस्तावित विलय सफल नहीं हो सका।

16. इस मुद्दे पर, समिति का विचार है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड को एक मजबूत निकाय बनाने और बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए इसके क्षमता के विकास के मद्देनजर बैंकिंग तंत्र का समेकन समय की आवश्यकता बन गया है, अतः जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, विशेष रूप से नैनीताल बैंक लिमिटेड जैसे छोटे बैंकों के लिए तभी संभव है जब विलय तंत्र का व्यापक रूप से सहारा लिया जाए। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से सिफारिश की है कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा को सलाह दें कि नैनीताल बैंक लिमिटेड के विलय प्रस्ताव पर हितधारकों के समग्र हित विशेष रूप से शेयर धारकों, नैनीताल बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए पुनर्विचार करें तथा यथाशीघ्र इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

17. इसके उत्तर में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में समिति को सूचित किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा निम्नलिखित कारणों से नैनीताल बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के पक्ष में नहीं है:-

(एक) विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि नैनीताल बैंक लिमिटेड की मात्र 139 शाखाएं हैं और इनमें न के बराबर कारोबार हैं।

(दो) नैनीताल बैंक लिमिटेड एक स्थानीय संस्थान है जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग आवश्यकताओं से संबंधित सेवाएं देने तथा उन क्षेत्रों में जहां लोग

नैनीताल बैंक लिमिटेड से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से विलय होने पर नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी स्थानीय पहचान खो देगा तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं पर भी समुचित ध्यान नहीं दे पाएगा।

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ से हुई चर्चा के अनुसार, नैनीताल बैंक लिमिटेड के स्टाफ का दृष्टिकोण प्रबंधन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। केवल कुछेक अधिकारी ही विलय की वकालत कर रहे हैं।

18. समिति पाती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक के साथ विलय के प्रस्ताव से असहमति का मुख्य कारण नैनीताल बैंक लिमिटेड के साथ जुड़ी स्थानीय लोगों की भावनाएं तथा इनकी शाखाओं की कम संख्या रेखांकित किया गया है तथा नैनीताल बैंक लिमिटेड के व्यापार की भविष्य की संभावना अर्थात् विलय पश्चात लाभ अर्जन को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या उस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। अतः समिति इस बात पर बल देने को बाध्य है कि नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के लिए डिजिटल वेंचर परियोजना की कल्पना के समय ही नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के समग्र मामलों को हल करने में अंतर्निहित विरोधाभास है, नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड द्वारा वित्तीय लाभ की अंतर्निहित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड की 98.57 प्रतिशत पूंजी की हिस्सेदारी होते हुए भी लाखों रूपए के भारी खर्च की सहमति दी। तत्पश्चात् बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल वेंचर परियोजना को समाप्त करना पड़ा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के विलय संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली एक नई मुसीबत से गुजरना पड़ा। अतः समिति एक बार पुनः अपनी पहले की सिफारिश को दुहराना चाहती है तथा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)से पुरजोर सिफारिश करती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न हितधारकों के समग्र हित, विशेष रूप से शेयर धारकों, नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए, समयबद्ध तरीके से

पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर समिति को इस संबंध में की गई ठोस कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार से अनिवार्य परामर्श हेतु मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों/विनियमों का नियमन

19. दिनांक 30.3.2017 को नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के बोर्ड ने अपनी बैठक में अनुमोदित की गई डिजिटल वेंचर की विस्तृत योजना तथा 26.03.2018 को इसके बोर्ड की बैठक में व्यापार योजना के अनुमोदन को नोट करते हुए समिति ने यह कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड जैसे छोटे बैंक के लिए परिकल्पित डिजिटल वेंचर परियोजना गलत गणना और गलत अनुमान पर आधारित थी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) का परामर्श भी नहीं लिया गया जो बैंक ऑफ बड़ौदा/नैनीताल बैंक लिमिटेड के निर्णय लेने वाले पदाधिकारियों के कार्य अनुभव के साथ-साथ उनके समग्र आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाता है।

20. समिति ने आगे टिप्पणी की थी कि नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड के बोर्ड द्वारा मेसर्स एक्सेंचर सल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से योजना के अनुमोदन से तीन माह पहले से ही सेवाएं ली गई थीं तथा डिजिटल वेंचर परियोजना की कुल परियोजना टीम पर लगभग 4.45 करोड़ रूपए का भारी खर्च हुआ था। अतः समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से सिफारिश की थी कि वे सुनिश्चित करें कि जब भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या इसके किसी सहायक बैंक जिसमें इसकी ज्यादा हिस्सेदारी हो, के द्वारा बड़े वित्तीय व्यय वाला कोई डिजिटल वेंचर प्रोजेक्ट जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जाए और उसका कार्यान्वयन किया जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रबंधन/बोर्ड को मंत्रालय को एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करके परामर्श करना चाहिए तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को भी एक स्पष्ट दिशानिर्देशों/विनियमों आदि का नियमन करना चाहिए ताकि सरकारी पैसे का उद्देश्यपूर्ण और फायदेमंद तरीके से उपयोग किया जा सके।

21. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में समिति को सूचित किया है कि परियोजना अवार्ड करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी पीएसबी को यह सलाह देते हुए पत्र जारी किया है कि बैंक अपने बोर्ड

द्वारा सामानों एवं सेवाओं के क्रय हेतु अनुमोदित नीतियां, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017, मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, 2017 और मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसलटेंसी एंड अदर सर्विसेज, 2017 तथा सीवीसी दिशानिर्देश के अनुरूप हों। इस संदर्भ में समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से निवेदन किया कि वह एक ऐसी व्यावहारिक नीति बनाए जिसके आधार पर प्रबंधन/पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर उससे परामर्श करें। तथापि इसके विपरीत वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने बैंकों को सलाह दी कि इस उद्देश्य के लिए वह अपने स्वयं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को बनाएं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होंगे।

22. अतः समिति पुनः दुहराती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी पब्लिक सेक्टर बैंक या इसके सहायक बैंक जिसमें इसकी ज्यादा हिस्सेदारी हो, के द्वारा बड़े वित्तीय व्यय वाले कोई बड़ी परियोजना जैसे डिजिटल वेंचर की परिकल्पना की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रबंधन/बोर्ड को मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके परामर्श करना चाहिए और इस संबंध में मंत्रालय को स्पष्ट दिशानिर्देशों/विनियमों का नियमन करना चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा प्रस्तावित या उठाए गए आवश्यक कदमों से उसे अवगत कराया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार,
सभापति,
याचिका समिति।

नई दिल्ली;
18 फरवरी, 2020
29 माघ, 1941 (शक)

petion/recommedn /tr-li